

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF
THE CRIMINAL
CODE, 1898

In the court of कुमारी प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद

प्रकरण क्रमांक 100/18

Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

name, parentage, caste and address of accused-

1. पंचम सिंह जाटव पुत्र उत्तम सिंह जाटव उम्र उम्र 40 वर्ष
निवासी- वार्ड क्र० 7 नहर मोहल्ला गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

The offence complained of, and date of its alleged
commission ----

यह कि आपने घटना दिनांक 23.04.2018 को 21:32 बजे वार्ड क्र० 7
नहर मोहल्ला टंकी के पास गोहद जिला भिण्ड में अंक लिखे सट्टे की पर्चीयों के
आधार पर रुपये पैसों की हारजीत का दाव लगवाकर सट्टा खेला।

तुम्हारा उक्त कृत्य 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत दंडनीय
अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान विचारण के तहत है तुम दोषी होने का
अभिवाक करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो।

प्रतिष्ठा अवस्थी

म.प्र. जिला- भिण्ड प्रथम श्रेणी

गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination [if any]--
आरोपी का अभिवाक-

अपराध स्वीकार करता हूँ

पंचम सिंह

प्रतिष्ठा अवस्थी

म.प्र. जिला- भिण्ड प्रथम श्रेणी

गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d),
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of
section 260, the value of the property in respect of which the
offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 18.05.2018 को घोषित किया गया)


1. आरोपी/आरोपीगण द्वारा सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4 (क) के अपराध की विशिष्टिया पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है। आरोपी की स्वेच्छा स्वीकृति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकृति के आधार पर उसे धारा 4 (क) सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. आरोपी/आरोपीगण द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी/आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत कीड़ा अधिनियम की धारा 4 (क) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्धदण्ड एवं अर्धदण्ड में व्यक्तिम होने पर 5 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दण्डित किया जाता है।
3. प्रकरण में जप्तशुदा 430/- रुपये राजसात किये जाते हैं तथा अन्य सामग्री सट्टे की पर्ची एवं पेन्सिल मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे।
4. आरोपी स्वतंत्र हों।

स्थान-गोहद


दिनांक-18/5/18

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित किया गया


18/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्था)
जयपुर जिला- गोहद
गोहद जिला- मिण्ड (म.प.)

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया


18/5/18
(प्रतिष्ठा अवस्था)
जयपुर जिला- गोहद
गोहद जिला- मिण्ड (म.प.)